GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
RAILWAY BOARD  

No. 2017/NFR/3/1  
New Delhi, dated 10/01/2017  

The General Managers  
All Indian Railways  

(Commercial Circular No. 5 of 2017)  
Sub: Policy on advertisement through Mobile Assets  

****  

Preamble  

Hon’ble Minister of Railways announced in his Railways Budget Speech 2016-17 that “Although we enjoy the highest captive eyeballs in a railway system internationally, we earn less than 5% of our revenues through non-tariff sources. Many of the world railway systems generate 10% to 20% of their revenues from non-tariff sources. Over a period of the next five years, we will strive to reach this world average by monetizing assets and undertaking other revenue yielding activities.  

Indian Railways has vast physical infrastructure which is ripe for commercial exploitation through advertising. We intend to give special focus to exploiting advertising potential of our stations, trains and land adjacent to tracks outside of big stations. In all, we target to increase the advertising revenues by more than 4 times the current revenues”  

Objective  

Pursuant to the aforementioned announcement, in order to increase the revenue generated from advertisement in 2016-17, a new policy on advertisement through mobile assets of Indian Railways is necessitated. The objective of this policy is to facilitate the Indian Railways to offer combined train packages consisting of
internal and external advertisement. This will help in realizing economies of scale and give more marketing flexibility, thereby leading to higher realization of earnings for Indian Railways.

Components of the Tender

- The licensee shall be allowed to advertise through vinyl wrapping of train exterior which will be as per extant specification laid down by RDSO, which presently is detailed in specification no. RDSO/2010/CG-08 with drawing CG-10076 for “Fleet graphic film on exterior of Indian Railway coaches”
- The licensee shall be allowed to advertise inside the coaches up to 250 square feet at locations specified by Railway authorities which will not cover the Safety and passenger related instructions
- Vinyl wrapping will be permitted on Windows of air-conditioned coaches also, subject to 70% visibility being achieved. Vinyl wrapping on windows of non-AC coaches will not be permitted.
- No digital advertising shall be allowed.
- The license fee shall escalate by 10% each year after 2 years
- The license shall be awarded for 5 (five) years starting from the Effective Date. The contract shall be further extendable by 5 (five) years subject to satisfactory performance and the Licensee is not in breach of its obligations under the License Agreement. The licensee should have complied with all its payment obligations under the License Agreement)
- The Licensee shall submit the advertising plan for each train.
- Indian Railways shall assess the train advertising plan on the basis of aesthetics, feasibility, safety and security, standards and specifications of the materials used and their technical or operational considerations. The Railways shall provide its comments on the same condition within 15 days of the receipt of the advertising plans. For the avoidance of doubt any delay in approval of the advertising plan by the Railways shall not be construed as deemed approval
- Detailed instructions and Contract agreement will be contained in the RFP document
- Vinyl wrapping of the trains shall be done at the primary maintenance base during the lay over period
- There will be no prefixing and suffixing of corporate brand names in the train names

**Security Deposit and Payment**

- Indian Railways shall receive security deposit for an amount equivalent to the 6 (six) months License Fee for each year of the License Term by way of an irrevocable bank guarantee
- Indian Railways shall receive License Fee in advance in equated monthly installments in the manner set out in the License Agreement.

**Package sizes:**

The train branding packages sizes shall be offered for bidding in a phased manner, broken down into categories as follows:

- Rajdhani Trains
- Shatabdi, Jan Shatabdi and Double Decker Trains
- Suburban-EMU-Delhi/Mumbai/Kolkata/Chennai Trains
- Superfast, AC Superfast(Special) and Mail/Express Trains
- DMU and MEMU Trains
- Garib Rath Trains
- Any other category as deemed fit.

**Bid Process Management**

- Indian Railways have appointed RITES as consultant who has appointed Ernst & Young as Professional Media Market Evaluation Agency (PMMEA)
- RITES and PMMEA shall be responsible for overall Bid Process Management
- RITES and PMMEA shall prepare Tender Documents
• The PMMEA shall prepare the Notice Inviting Tender, with recommendations by RITES, to be approved and published by the concerned Zonal Railway.

• RITES and PMMEA shall upload the NIT/ Tender document, addendum/ corrigendum to the tender after approval from the concerned Zonal Railway by arranging suitable e-tendering platform.

• Estimated Earnings as projected by PMMEA will be approved by the concerned Zonal Railways.

• PMMEA shall receive and evaluate tenders.

• RITES shall accept the tender and issue LOA.

• Primary maintenance Divisions shall sign and implement the agreement.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Kindly acknowledge the Receipt of this letter.

(Ranjan P. Thakur)
Executive Director (Traffic Commercial)
Non fare Revenue
Railway Board

No. 2017/NFR/3/1

New Delhi, dated 10/01/2017

Copy to: FA&CAO, All Indian Railways, for information & necessary action.

For Financial Commissioner,
Railway Board
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2017/एनएफआर/3/1

नई दिल्ली, दिनांक: 10/01/2017

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेल

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 5)

विषय: चल परिसंपत्तियों के जरिए विज्ञापन संबंधी नीति

भूमिका

भारतीय रेल मंत्री ने अपने रेल बजट भाषण 2016-17 में यह घोषणा की थी कि “यद्यपि भारतीय रेल के साथ वास्तव रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, तथापि हम किसी से इतना संदर्भ के जरिए 5% से भी कम राजस्व अर्जित करते हैं। विश्व की बहुत सी रेल प्रणालियाँ किसी से इतने संदर्भ से 10% से 20% राजस्व अर्जित करती हैं। अगले 5 वर्ष की अवधि में, हम परिसंपत्तियों का माउंटिंग करके और राजस्व उपार्जक अन्य कार्य से इस विश्व औसत को हासिल करने का प्रयास करेंगे।

भारतीय रेल के पास विशाल भौतिक आधारभूत संरचना है, जो विज्ञापन के जरिए वाणिज्यिक दोहन के लिए तैयार है। हम अपने स्टेशनों, गाड़ियाँ और बड़े स्टेशनों के बाहर रेलवे के आस-पास की भूमि की विज्ञापन क्षमता के दोहन पर विशेष ध्यान केंद्रित करने पर विचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर, हमने विज्ञापन राजस्व को वर्तमान राजस्व से 4 गुना ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

उद्देश्य

उक्त उल्लिखित घोषणा के अनुसार, 2016-17 में विज्ञापन से अर्जित राजस्व को बढ़ाने के लिए, भारतीय रेल की चल परिसंपत्तियों के जरिए विज्ञापन संबंधी एक नई नीति बनाना आवश्यक है। इस नीति का उद्देश्य भारतीय रेल द्वारा आंतरिक और बाहरी विज्ञापन सहित
संयुक्त गाड़ी पैकेज़ प्रदान करने के लिए प्रस्ताव को सुगम बनाना है। इससे बड़े पैमाने पर किफायत का लाभ मिलेगा और विपणन में और अधिक लचीलापन आएगा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेल को अधिक आय प्राप्त होगी।

निविदा के घटक

• लाइफेस्थारक को गाड़ियों के बाहर विनायक रैपिंग द्वारा विज्ञापन देने की अनुमति होगी, जो आरडीएसओ द्वारा निर्धारित वर्तमान विशिष्टित के अनुसार होगी, जिसका विवरण "भारतीय रेल के सवारी डिब्बों पर पसीट ग्राफिक फिल्म" के लिए इंडिया सीजी-10076 सहित विशिष्टित सं. आरडीएसओ/2010/सीजी-08 में दिया गया है।
• लाइफेस्थारक को रेल प्राधिकरण द्वारा सवारी डिब्बों के अंदर निर्दिष्ट स्थानों पर 250 वर्ष फुट पर ही विज्ञापन देने की अनुमति होगी, जिनमें सुरक्षा और यात्री संबंधी अनुदेशों को कवर नहीं किया जाएगा।
• वातानुकूलित डिब्बों की खिड़कियों पर भी विनायक रैपिंग की अनुमति होगी, बशर्ते 70% दर्शक थे। वाँ-एसी डिब्बों की खिड़कियों पर विनायक रैपिंग की अनुमति नहीं होगी।
• डिजिटल विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी।
• लाइफेस्थारक शुल्क 2 वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ेगा।
• लाइफेस्थारक उसके जस्ते होने की तारीख से 5 (पाँच) वर्ष के लिए दिया जाएगा। इने को 5 (पाँच) वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कार्य निपणाण संशोधनक हो और लाइफेस्थारक लाइफेस्थारक के तहत अपनी वाहनों का उपलब्ध नहीं कर रहा है। लाइफेस्थारक ने लाइफेस्थारक के तहत सभी भुगतान दावियों का अनुमान किया है।
• लाइफेस्थारक को प्रत्येक गाड़ी के लिए विज्ञापन संबंधी योजना प्रस्तुत करनी होगी।
• भारतीय रेल, गाड़ियों की विज्ञापन संबंधी योजना का मूल्यांकन साज-सज्जा, व्यवहार्यता, संरक्षा और सुरक्षा, उपयोग की गई सामग्रियों के मानकों और विशिष्टितियों और उनके तकनीकी अथवा परिचालनक दृष्टिकोण के आधार पर करेगा। रेलवे को विज्ञापन संबंधी योजनाओं के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इसी शर्त पर अपनी तिप्पणी देनी होगी।
• इसमें किसी प्रकार की शंका न रहे, इसके लिए रेलवे द्वारा विज्ञापन संबंधी योजना के अनुसरण में हुए किसी विलंब को स्वीकृति नहीं माना जाएगा।
• आरडीएसओ दर्शावेज में विस्तृत अनुदेश और ठेका कार्य निहित होगा।
• गाड़ियों की विनायक रैपिंग प्राथमिक अनुरक्षण बेस पर पड़ाव अवधि के दौरान की जाए।
• गाड़ियों के नाम के आगे या पीछे कॉरपोरेट ब्रांड का नाम नहीं जोड़ा जाएगा।
प्रतिभूति जमा और भुगतान

- भारतीय रेल को अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के माध्यम से लाइसेंस अवधि के प्रत्येक वर्ष के 6 (छह) माह की लाइसेंस शुल्क के सम्मान मूल्य की सुरक्षा जमा राशि प्राप्त होगी।
- भारतीय रेल को लाइसेंस करार में दी गई पद्धति के अनुसार बराबर मासिक किश्तों में अग्रिम में लाइसेंस शुल्क प्राप्त होगा।

पैकेज का आकार

ट्रेन ब्रैडिंग पैकेज आकार का चरणबद्ध तरीके से बोली की पेशकश की जाएगी, जिन्हें निम्न श्रेणियां में रखा गया है।

- राजधानी गाड़ियाँ
- शताब्दी, जन शताब्दी और डबल डेकर गाड़ियाँ
- उपनगरीय-ईएमयू/दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई गाड़ियाँ
- सुपरफास्ट, एसी सुपरफास्ट(स्पेशल) और मेल/एक्सप्रेस गाड़ियाँ
- डीएमयू और मेमू गाड़ियाँ
- ग्रीष्म रथ गाड़ियाँ
- कोई अन्य श्रेणी जो उचित हो।

बोली प्रक्रिया प्रबन्धन

- भारतीय रेल ने राइट्स को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जिसने अर्नेस्ट एंड यंग को प्रोफेशनल मीडिया मार्केट इन्वेस्टमेंट एजेंसी (पीएमएमईए) के रूप में नियुक्त किया है।
- राइट्स और पीएमएमईए पूर्ण बोली प्रक्रिया प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगे।
- राइट्स और पीएमएमईए निविदा दस्तावेज तैयार करेंगे।
- पीएमएमईए, राइट्स की सिफारिशों पर निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस तैयार करेगा, जो संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित किए जाएंगे।
- राइट्स और पीएमएमईए संबंधित क्षेत्रीय रेलों से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, उपयुक्त ई-निविदा मंच से ऐनआईटी/निविदा दस्तावेज़, निविदा का परिशिष्ट/शुद्धिपत्र अपलोड करेंगे।
• पीएमएमईए द्वारा यथा संबंधित अनुमानित आय को संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
• पीएमएमईए निविदाएँ प्राप्त करेगा और उनका मूल्यांकन करेगा।
• राइट्स निविदा स्वीकार करेगा और स्वीकृति पत्र जारी करेगा।
• प्राथमिक अनुरक्षण मण्डल करार पर हस्ताक्षर करेगे और उसका कार्यान्वयन करेगे।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावतीं दें।

(रजनी पी. ठाकुर)
कार्यपालक निदेशक (मात्रायात वाणिज्य)
गैर किराया राजस्व
रेलवे बोर्ड

सं. 2017/एनएफआर/3/1

नई दिल्ली, दिनांक 10/01/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित: प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेल।

(स्वाक्षर)
कृते वित्त आयुक्त,
रेलवे बोर्ड